

(पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के सम्बन्ध में नोटिस)

नोटिस अन्तर्गत धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

नाम.....पुत्रनिवासी ग्राम.....
थाना..... जनपद.....

आपको सूचित किया जाता है कि थाना जनपद..... पर पंजीकृत मु0अ0सं0..... धारा की विवेचना मुझ द्वारा की जा रही है। मुकदमे में आप नामजद अभियुक्त हैं। मुकदमे में 07 वर्ष अथवा 07 वर्ष से कम की सजा होने के कारण अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेशों निर्देशों के क्रम में आपकी गिरफ्तारी नहीं करते हुए आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि आप दिनांक को समयबजे थाना जनपद..... पर मुझ विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। आप अपने बचाव हेतु दस्तावेजीय इलेक्ट्रानिक व अन्य साक्ष्य लाने हेतु स्वतंत्र हैं।

यदि आप नोटिस प्राप्त होने के उपरांत नियत तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो आपके विरुद्ध विधिनुसार कार्यवाही किया जायेगा तथा आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35(6) के अन्तर्गत गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

(विवेचक)

नाम.....

.....

पद.....

.....

थाना

.....

जनपद.....